सं.जी.25018/1/2015-2016/एमएफ-सीजीए/एफए/टीएस/82

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

महालेखा नियंत्रक

चतुर्थ तल, लोकनायक भवन,

खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

दिनांक 25.02.2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: संघ सरकार, वित्त लेखे 2015-2016 तैयार किया जाना - वर्ष के वार्षिक लेखे बंद किए जाने के लिए समय अनुसूची।

संघ सरकार के वित्त लेखे को संसद के दोनो सदनों मे प्रस्तुत किए जाने के लिए तैयार किया जाना अपेक्षित होता है। इस उद्देश्य के लिए संघ सरकार के वित्त लेखे को प्रस्तुत करने के लिए नीचे पैरा '2' के अनुसार समय अनुसूची बनायी गयी है:-

2. वर्ष 2015-16 के लेखों को बंद किए जाने/अंतिम रूप दिए जाने की समय अनुसूची:

क्रम. सं.	**कार्य की मदें**	**नियत तारीख**
(i)	विभिन्न महालेखाकारों की बहियों में दर्शाए गए मुख्य शीर्ष 2049/1601/6004 के अंतर्गत तदनरूपी आंकड़ों के साथ समाधान किए जाने के उद्देश्य से **राज्य महालेखाकारों को प्रस्तुत किए जाने के लिए** केंद्रीय बहियों में मुख्य शीर्ष '0049-ब्याज प्राप्तियां (01 और 02) और 3601/7601 के अंतर्गत दर्शाए गए क्रमश: **ब्याज प्राप्तियां**/सहायता अनुदान/कर्ज और अग्रिम **संबंधि आंकड़े** प्रस्तुत किया जाना।	**10 मई, 2016**
(ii)	1.4.2015 से 31.3.2016 तक **प्रोफार्मा आधार पर अपनाए गए/छोड़ दिए गए** शेषों की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट	**17 मई, 2016**
(iii)	**वर्ष 2015-2016** का केंद्रीय लेनदेन विवरण तैयार किया जाना और **ई-लेखा के माध्यम से** महालेखा नियंत्रक (वित्त लेखा अनुभाग) को प्रस्तुत किया जाना। केंद्रीय लेनदेन विवरण और समर्थक विवरणों	**20 मई, 2016**

	की विधिवत हस्ताक्षरित हार्ड प्रति केंद्रीय लेनेदेन विवरण को ई-लेखा पर प्रस्तुत करने के बाद इस कार्यालय को भेज दी जाए। वित्त लेखा अनुभाग द्वारा केंद्रीय लेनदेन विवरण स्वीकार कर लिया गया है यह सुनिश्चित किया जाए और यदि उसे लौटा दिया गया है तो अपेक्षित कार्रवाई करने के बाद इसे पुन: प्रस्तुत किया जाए।	
(iv)	'मिश्रित' अनुदानों के संबंध में वार्षिक व्यय का/के विवरण निम्नलिखित आशय के प्रमाण-पत्रों के साथ संबंधित प्रधान लेखा कार्यालयों को प्रस्तुत किया जाना:- (i) व्यय (ग्रुप-उप शीर्षवार) केंद्रीय लेनदेन विवरण के (मुख्य/लघु शीर्षवार) आंकड़ों के साथ मेल खाता है और इसे विभाग/मंत्रालय के प्रमुख द्वारा समाधान करके स्वीकार कर लिया गया है। (ii) समस्त व्यय सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया था (……. को छोड़कर)	**20 मई, 2016**
(v)	रेलवे, डाक, दूरसंचार, रक्षा और सिविल के बीच भारतीय रिर्जव बैंक की बहियों से बाहर प्रोफार्मा आधार पर समायोजन के लिए प्रस्तावों को महालेखा नियंत्रक (वित्त लेखा अनुभाग) को प्रस्तुत किया जाना (सिविलि लेखा नियम पुस्तिका के पैरा 8.14.1 में समाविष्ट अनुदेश)।	**20 मई, 2016**
(vi)	***ई-लेखा के माध्यम से जर्नल प्रविष्टियां प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तारीख*** (जर्नल प्रविष्टि प्रस्तुत किए जाने के लिए मापदंड केंद्रीय विवरण वित्त लेखा अनुभाग द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद ही उपलब्ध होंगे। महालेखा नियंत्रक का अनुदान प्राप्त करने के लिए मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ई-लेखा पर अपलोड की गई जर्नल प्रविष्टि की हार्ड प्रति वित्त लेखा अनुभाग को भेज दी जाए। ई-लेखा के लिए जर्नल प्रविष्टि वित्त लेखा अनुभाग द्वारा तभी अनुमोदित की जाएगी जब हार्ड प्रति प्राप्त हो गई हो और जर्नल प्रविष्टि महालेखा नियंत्रक द्वारा स्वीकार कर ली गई हो।)	**22 जून, 2016**

3. **केंद्रीय लेनदेन विवरण प्रस्तुत किए जाने संबंधी जांच सूची संलग्न है। इसे प्रधान लेखा अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और लेखा संघटन प्रमुख (मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक आदि) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित केंद्रीय लेनदेन विवरण अग्रेषण पत्र के साथ संलग्न किया जाए।**

4. प्रत्येक लेखा संगठन शीर्ष ऊपर दर्शाई गई तारीख के आधार पर अपनी आंतरिक समय सीमा तैयार करे तथा इसकी प्रगति पर नियमित रूप से निगरानी रखे।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

6. कृपया कार्यालय ज्ञापन की पावती भेजें।

(शैलेन्द्र कुमार)
उप महालेखा नियंत्रक

सेवा में,

1. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।

2. रक्षा लेखा महानियंत्रक,
(रक्षा सिविल), उलान बतर रोड, पालम, दिल्ली छावनी - 110010

3. रक्षा लेखा महानियंत्रक,
रक्षा सेवाएं, उलान बतर रोड, पालम, दिल्ली छावनी - 110010

4. वित्त आयोग रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली।

5. सभी प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक/मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक (स्वतंत्र प्रभारी)

6. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) दिल्ली,
आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली।

7. मुख्य लेखा नियंत्रक,
अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष भवन,
न्यू बी.ई.एल. रोड, बंगलौर-560094

8. लेखा निदेशक,
दमन और दीव, दमन।

9. लेखा और बजट निदेशक,
मुख्य भगतान और लेखा अधिकारी कार्यालय,
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर।

10. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, सेक्टर - 17, चंडीगढ़-160017

11. लेखा निदेशक (सचिवालय),
संघ राज्य क्षेत्र, दादरा एवं नगर हवेली (प्रशासन) सिल्वासा।

12. लेखा और खजाना निदेशक,
लेखा और खजाना निदेशालय, पुदुचेरी।

13. सचिव (भुगतान और लेखा),
संघ राज्य क्षेत्र लक्षदीप प्रशासन,
कावारत्ती - 682555

14. प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक (मध्य),
18 रवीन्द्र सरणी, पोद्दार कोर्ट, कोलकाता - 700001

15. प्रधान लेखा अधिकारी और भुगतान तथा लेखा अधिकारी,
राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।

16. भुगतान और लेखा अधिकारी,
भारत का निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली।

17. वेतन और लेखा अधिकारी,
लोकसभा सचिवालय,
कमरा सं. 302, संसद भवन एनेक्सी, नई दिल्ली।

18. भुगतान और लेखा अधिकारी,
राज्य सभा सचिवालय,
कमरा सं. 201, संसद भवन एनेक्सी, नई दिल्ली।

19. प्रधान लेखा अधिकारी एवं
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली,
'ए' ब्लॉक, विकास भवन, नई दिल्ली।

20. निदेशक (पीए-II), डाक विभाग,
डाक भवन, सरदार पटेल चौंक, संसद मार्ग, नई दिल्ली।

21. प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर।

22. महानिदेशक,
दूरसंचार विभाग,
संचार भवन, नई दिल्ली।

महानिदेशक (दूरसंचार) से अनुरोध है कि केंद्रीय लेनदेन विवरण के साथ निम्नलिखित सूचना भेज दें:-

1. **भारत संचार निगम निमिटेड से लाइसेंस शुल्क की प्राप्तियां मुख्य शीर्ष 1275**
2. **विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा देय प्रवेश शुल्क मुख्य शीर्ष 1275**
3. **भारत संचार निगम लिमिटेड से वसूली योग्य पेंशन अंशदान मुख्य शीर्ष 0071**

23. मुख्य लेखा नियंत्रक,
परमाणु ऊर्जा विभाग,
प्रस्तुत
सी.एस.एम. मार्ग,
मुंबई - 400039

निम्नलिखित स्रोतों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 0801 और 0852 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियां ब्योरा

किया जाए:

1) ईंधन निर्माण सुविधाएं

2) राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र

3) ईंधन सामग्री सूची
4) भारी जल पूल प्रबंधन

24. मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, कमरा सं. 240-बी, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली। — **बाजार उधारी की प्रसांगिक प्राप्तियों का ब्योरा प्रस्तुत किया जाए।**

25. लेखा परीक्षा महानिदेशक (वित्त लेखा अनुभाग) केंद्रीय व्यय, नई दिल्ली।

26. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002.सभी महालेखाकारों से कि उपर्युक्त समय अनुसूची का दृढ़तापूर्वक पालन किए जाने का अनुरोध किया जाए।

27. प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक - 1, केंद्रीय राजस्व, नई दिल्ली।

28. लेखा परीक्षा निदेशक, आर्थिक और सेवा मंत्रालय, केंद्रीय राजस्व महालेखाकार भवन, नई दिल्ली।

29. लेखा परीक्षा महानिदेशक, रक्षा सेवाएं, एल-II ब्लॉक, ब्रासी एवेन्यू नई दिल्ली।

30. प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक, वैज्ञानिक विभाग, एजीसीडब्ल्यूएम भवन, नई दिल्ली।

31. लेखा निदेशक, गोवा, पणजी, गोवा।

32. लेखा अधिकारी, सरकारी संपर्क प्रकोष्ठ, प्रथम तल, एन.एस.भवन, वीसीए ग्राउंड के सामने, सिविल लाइन्स, नागपुर-440001

33. **सहायक महालेखा नियंत्रक, वैब प्रकोष्ठ (आईटीडी अनुभाग को सीजीए की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए)**

केंद्रीय लेनदेन विवरण प्रस्तुत किए जाने संबंधी जांच सूची

1. केंद्रीय लेनदेन विवरण की ई-लेखा से तैयार की गई रिपोर्ट (एक सारांश, तीन सार और तीन विस्तृत रिपोर्ट) संलग्न हैं।

2. केंद्रीय लेनदेन विवरण में दर्शाए गए ऋणात्मक विवरण के कारण प्रस्तुत किए गए हैं।

3. सभी व्यय लेनदेनों का अनुदानवार ब्योरा प्रस्तुत किया गया है।

4. वर्ष 2015-2016 के वेतन और भत्तों का मुख्य शीर्षवार ब्योरा प्रस्तुत किया गया है।

5. कर्ज के अनुरूप ब्याज प्राप्तियों का मुख्य/उप मुख्य/लघु शीर्षवार ब्योरे प्रस्तुत किए गए हैं।

6. मुख्य शीर्ष 7601 और 7602 के अंतर्गत प्रत्येक लेनदेन के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्योरे प्रस्तुत किए गए हैं।

7. मुख्य शीर्ष 0049 के अंतर्गत प्रत्येक लेनदेन के संबंध में मुख्य/उप मुख्य/ लघु शीर्ष के अनुरूप राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कर्ज दर्शाने वाले ब्योरे प्रस्तुत किए गए हैं।

8. प्राप्त लाभांशों का कंपीवार ब्योरा और लाभांशों का वर्ष प्रस्तुत किया गया है।

9. सभी प्राप्ति और व्यय लेनदेन (राजस्व शीर्ष के अंतर्गत) की तुलना पिछले वर्ष से की गई थी और अधिक घटबढ़ के कारण प्रस्तुत किए गए हैं।

10. सभी निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए हैं।

11. सरकार की इक्विटी धारित राशि के विनिवेश के ब्योरे प्रस्तुत किए गए हैं।

12. आर्थिक सहायता संबंधी सूचना संलग्न है।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी
प्रधान लेखा कार्यालय

प्रति हस्ताक्षरित

प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक/मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक (स्वतंत्र प्रभार)